तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. 55/2019 ख्यालीराम बनाम सरपंच जैतपुर आदि अन्तर्गत धारा 111,128 आरटीए	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/02/21	पत्रावली पेश हुई । अवलोकन किया गया । बहस सूनी गई । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुवे निवेदन किया कि प्रार्थी की जोत जैतपुर बी में खसरा नम्बर 841/2196 तादादी 30 बीघा स्थित हैं। भूमाफिया द्वारा साठगांठ कर उक्त रकबा के मुमताज वगैराह डिग्री कराकर कब्जा करने की कोशिश की हैं। जिसकी दिनांक 11.01.2016 को स्थगन प्रदत हैं। अपील राजस्व मंडल में जैरकार है एवं मौका पर यथास्थिति के आदेश प्रभावी हैं। अतः विचारण अतिक्रमणकारी का पूर्व का निर्माण ध्वस्त के आदेश एवं सीमांकन के आदेश फरमाए जावे । पैरोकार राज द्वारा नियमानुसार पत्थर गढ़ी पर राजस्व मण्डल में विचाराधीन होने कारण अंतिम निर्णय होने तक पत्थरगढ़ी कराये जाने में असहमति प्रकट की गईं। हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संलग्न फर्द मौका अनुसार दिनांक 18.02.2019 को तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर के आदेश क्रमांक 7872 दिनांक 05.02.2019 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.02.2019 की पालना में ग्राम जैतपुर बी के आबादी खसरा नम्बर 841/1 तादादी 28 बीघा का गठित टीम सहीत मय रिकॉर्ड मौके पर पहूँच मौके पर ग्राम विकास अधिकारी जैतपुर व पुलिस थाना महाजन के प्रतिनिधी एवं ग्राम के मुख्यान की उपस्थिति मे सीमाज्ञान की कार्यवाही की गईं। अन्य दस्तावेज जमाबन्दी ग्राम जैतपुर बी खसरा नम्बर 841/2196 तादादी 30 बीघा छाया प्रति, नकल आशिक नक्शा छाया प्रति एवं निर्णय दिनांक 15.10.2015 राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर छाया प्रति एवं राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन प्रकरण की फर्द अहकाम छाया प्रति संलग्न हैं। उपरोक्त दस्तावेजना एवं बहस से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है अंतिम फैसला आने से पूर्व हमे पत्थरगढ़ी पर फैसला करना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (भागीरथ शाख) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर उप खण्ड अधिकारी लूणकरणसर Signature Not Verified Digitally signed by Bhagirath Shakh Date: 2021.07.29 11:48:53 IST Reason: SelfAttested	

उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर